हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–47/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वाहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर)कराधान संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 4–क का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम,1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4–क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :–

> "(3–क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को, विहित रीति में जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान

उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पांच दिन के भीतर प्रत्येक मास ट्रेज़री चालान सहित विवरणी देनी होगी ।

(3–ख) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति यदि प्रर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3–क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसे पांच हज़ार रुपए से अनधिक की राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने का निदेश देगा ।

(3–ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से, जिसको कि व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा ।''।

3. नई धारा 6–क का अतःस्थापन.–मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"6–क. इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से संबधित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रुप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना,संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविद्यिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगाः

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यक्ति से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यक्ति जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(यों) को इलैक्ट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगाः

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिह्नक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति से, ऐसी विवरणी(यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से सम्यक् रुप से मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो वह पांच हज़ार से अनधिक राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम,1999 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी यान्त्रिक यान के प्रभारी व्यक्ति को कर की ई–विवरणियों और ई–संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तरानीक में भी कमी आएगी और इसके पश्चात वे बैंकों और कार्यालय कॉऊटरों पर लाईन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में कर दाताओं को सौहर्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्यमंत्री ।

शिमला
तारीख.....2011.

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–– शून्य––

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 24 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 4-A.—(1) In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the

"principal Act"), after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub-section(1) shall in the prescribed manner furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Officer -Incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub-section (1), fails without sufficient clause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues." .

3. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-A. Procedure to maintain records through electronic data system etc.—(1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The person who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically shall authenticate the same by affixing his digital signatures:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such person fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide the facility of filing of e- returns and e-payment of tax to the person-in-charge of the mechanical vehicle liable to pay tax under the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such person-in-charge of the mechanical vehicle and tax collecting

agencies will be reduced and such person-in-charge of the mechanical vehicle henceforth will not be forced to stand in queue at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing such tax payers friendly environment in the State. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Prem Kumar Dhumal)
Chief Minister.

Shimla :
The……2011

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil.